न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 1/2019

उनवान

1. मेघराज पुत्र पांचू जाति कुम्हार नि0 ग्राम लवेरा, नसीराबाद

— — वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामसुख पुत्र पांचू जाति कुम्हार नि0 ग्राम लवेरा, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— — प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री आशीष अजमेरा
2 जरियें राज0 पैरोकार

दाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 13.2.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 0.53 कि आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का 0.37 रकबा 37/53 हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर वादी का है एवं 16/53 हिस्सा रकबा 0.16 उतर दिशा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 863 रकबा 0.53 में से 0.37 रकबा 37/53 हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर वादी का है एवं 16/53 हिस्सा रकबा 0.16 उतर दिशा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। उभयपक्ष्ज्ञ उक्तानुसार उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः उक्तानुसार आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे।
राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर प्रकरण का निस्तारण इसी स्तार पर करना जहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 0.53 कि आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का 0.37 रकबा 37/53 हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर वादी का है

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

1रु. कोर्ट फी Re.1

एवं 16/53 हिस्सा रकबा 0.16 उतर दिशा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादग्रसत आराजी के विभाजन से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में अपनी स्वीकारोक्ति पेश की है। पत्रावली में वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही है।

अतः ग्राम ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 0.53 कि आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा के 0.37 है0 रकबे का खातेदार वादी को व उतरी दिशा के 0.16 है0 रकबे का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मेघराज बनाम रामसुख

दावा बाबत :– 53, 188, राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 1/2019
पेश करने की दिनांक – 8.1.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई आशीष अजमेरा व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 0.53 कि आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा के 0.37 है0 रकबे का खातेदार वादी को व उतरी दिशा के 0.16 है0 रकबे का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 2 सन् **2019** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner